न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 09/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/92

उनवान

1. सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार, तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी दि0 06.05.2022 मि.नं. 409/2010 उनवानी सुब्बा बनाम खुर्शीद।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रवीण चौधरी उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–02.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 वाके ग्राम चिनावाडा तहसील पहाडी वादी व प्रतिवादी के पिता मुंशी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मुंशी के तीन पुत्र रूस्तम, सुब्बा व खुर्शीद हुये। जिनमे से रूस्तम, मुंशी की जिन्दगी में फौत हो गया। रूस्त के दो पुत्र नवाव व साहबू हुये, इस प्रकार मुंशी के देहान्त के पश्चात् उसकी आराजी खसरा नम्बर 281 एवं मुंशी की समस्त आराजीयात पर सुब्बा 1/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्सा पर खुर्शीद 1/3 हिस्सा पर रूस्तम के दोनों लडके नवाब व साबू 1/3 हिस्से के विरासत खातेदार काश्तकार बने और सभी अपने हिस्से के मुताबिक मनवट के हिसाब से काश्त करते रहें सन् 2005 में वादी व प्रतिवादी के पिता मुंशी की समस्त आराजी के विभाजन हेतु एक दावा प्रतिवादी खुर्शीद द्वारा वादी मुंशी के अन्य हिस्सेदारो के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के समक्ष पेश हुआ जो बाद में चलकर आपसी सहमति से पुराने मनवट के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये डिक्री हुआ। विवादित आराजी में पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी के अलग अलग नोहरे एवं चाह पुख्ता कुँआ बना हुआ है, जो वादी व प्रतिवादी ने आधे–आधे पैसे लगाकर तैयार कराया था एवं दोनों ही उक्त चाह से अपनी अपनी आराजी की सिंचाई करते चले आ रहे हैं एवं विद्युत कनेक्शन भी दोनों ने अपने नाम से लिया हुआ है। पूर्व वाद में विवादित कुँआ बाबत् कोई जिक्र नहीं हो सका। अतः वर्तमान में प्रतिवादी रैस्पो0 के मन में बदयान्ति आ गयी है एवं वह विवादित आराजी एवं कुँआ को बेचने की फिराक में हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का फैसला विरूद्ध अपीलाण्ट करने में तथ्यात्मक त्रुटि की है। जबकि अपीलाण्ट ने तनकी संख्या 01 को अपने पक्ष में व विरूद्ध रैस्पो0 साबित करने में सफल रहा है। पत्रावली पर यह तथ्य बखूबी साबित है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 281 में स्थित चाह कुँआ से उसके सभी सहहिस्सेदार को सिंचाई करने का संपूर्ण हक व अधिकार होता है। जबकि पूर्व विभाजन में यह तय नहीं हुआ था कि किस हिस्सेदार को किस दिशा में हिस्सा मिला है तथा पत्रावली पर यह भी साबित है कि कुँआ का निर्माण पक्षकारो व पक्षकारो के पिता ने सम्मिलित रूप से कराया था। जिस कारण अपीलाण्ट को सिंचाई करने का पूरा हक है एवं अपीलाण्ट को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में इन्हीं पक्षकारो के मध्य, अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा चला, जो उभयपक्ष की सहमति/राजीनामा से दिनांक 28.06.2006 को डिक्री हुआ। वादी अपीलाण्ट को यदि उक्त निर्णय से कोई उज्र था, तो उन्हें पूर्ववर्ती वाद की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये, पुनः विवादित आराजी बाबत् नवीन वाद प्रस्तुत करना, विधि अनुसार वर्जित है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 "पूर्व न्याय" में स्पष्ट अंकित है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सार, विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले, उन्हीं पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकारो के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हैं, व किसी पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चात् वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है व पूर्व में विचारण करने में सक्षम था और न्यायालय द्वारा उसे सुना जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप में विनिश्चित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पूर्व न्याय (RESJUDICATA) के बिन्दु, पर तनकीयात कायम कर पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय के तथ्य एवं विधि के मिश्रित बिन्दु, पर साक्ष्य आदि लेने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/01/2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर